



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07072026-274217
CG-DL-E-07072026-274217

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3515]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 7, 2026/आषाढ 16, 1948

No. 3515]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 7, 2026/ASHADHA 16, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2026

का.आ. 3677(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् महाराष्ट्र राज्य के सोलापूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग अहमदनगर - सोलापूर - अक्कलकोट- महाराष्ट्र / कर्नाटक सीमा (सोलापूर के लिए स्पर कनेक्टिविटी के साथ) ग्रीनफील्ड संरक्षण किमी से 418/800 से कि.मी. 547/000 के भूखण्ड के निर्माण (छह/आठ लेन का बनाने, आदि) प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आक्षेप उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्र. 11, सोलापूर को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी व्दारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के सोलापूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग अहमदनगर - सोलापूर - अक्कलकोट- महाराष्ट्र / कर्नाटक सीमा (सोलापूर के लिए स्पर कनेक्टिविटी के साथ) ग्रीनफील्ड संरेखण किमी से 418/800 से कि.मी. 547/00 तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: सोलापूर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: बार्शी					
गांव का नाम: लक्षाचीवाडी					
1	56	निजी	एग्रीकल्चर ()	0.847 (हेक्टेयर)	0.847
गांव का नाम: कासारवाडी					
2	317	निजी	एग्रीकल्चर ()	1.13 (हेक्टेयर)	1.13
3	328	निजी	एग्रीकल्चर ()	0.39 (हेक्टेयर)	0.39
गांव का नाम: घाणेगाव					
4	573	निजी	एग्रीकल्चर ()	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
Total					2.467

[फा. सं. NHAI/PIU/SLP/LA/AD-2021-22/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2026

S.O. 3677(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (Six/Eight-laning etc.), maintenance management and operation of National Highway, in the stretch of land for newly proposed Ahmednagar - Solapur - Akkalkot- MH/KN Border (Including Spur Connectivity to Solapur Town) Greenfield alignment from Km. 418/800 to Km. 547/00 (Maharashtra Section) in Solapur District in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely the Deputy Collector, Land Acquisition No. 11, Solapur in writing and shall set-out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act, shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land for the newly proposed Ahmednagar - Solapur - Akkalkot- MH/KN Border (Including Spur Connectivity to Solapur Town) Greenfield alignment from Km. 418/800 to Km. 547/00 in Solapur District in the State of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			District: SOLAPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Barshi					
Village: Lakshachiwadi					
1	56	Private	Agriculture ()	0.847 (Hectare)	0.847
Village: Kasarwadi					
2	317	Private	Agriculture ()	1.13 (Hectare)	1.13
3	328	Private	Agriculture ()	0.39 (Hectare)	0.39
Village: Ghanegaon					
4	573	Private	Agriculture ()	0.1 (Hectare)	0.1
Total					2.467

[F. No. NHAI/PIU/SLP/LA/AD-2021-22/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director